मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
Madhya Pradesh Legislative Assembly Secretariat
Indira Gandhi Vidhan Bhawan,
Arera Hills,Bhopal(M.P.)

स मा चा र

मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रवर समिति ने मांगे सुझाव.

भोपाल: 28 जनवरी, 2020

मध्यप्रदेश विधान सभा के जुलाई,2019 सत्र में प्रस्तुत मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पर विचार हेतु श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य विधान सभा के सभापतित्व में प्रवर समिति का गठन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में गौ-वंश के संरक्षण एवं उसके परिवहन को सुचारु बनाने तथा कतिपय व्यक्तियों द्वारा परिवहन के दौरान किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हिंसा, क्षति या उपहति का प्रतिषेध करने के उद्देश्य से उक्त विधेयक जुलाई,2019 सत्र में विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था।

उपर्युक्त विधेयक पर गठित मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों, विषय विशेषज्ञों तथा संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। सुझाव अथवा ज्ञापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, अरेरा हिल्स, भोपाल-462004 पते पर दिनांक 25 फरवरी, 2020 तक दिये जा सकते हैं। उपर्युक्त विधेयक मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 298, दिनांक 18 जुलाई, 2019 में प्रकाशित किया गया है. विधेयक की प्रति मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाइट (http://mpvidhansabha.nic.in/bill_2019.htm) पर भी उपलब्ध है।

म.प्र./वि.स./ज.स./2020

(मुकेश मिश्रा)
अवर सचिव